Helpline **1064** **94135-02834**

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **नगर पालिका पावटा–प्रागपुरा के अधिशाषी अधिकारी श्री फतेह सिंह मीणा के विरूद्ध दर्ज आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपूतली, थानागाजी अलवर स्थित 12 ठिकानों पर सर्च।**
- **सर्च में थानागाजी में फार्म हाउस, जयपुर में आलिशान डूप्लेक्स दो फ्लैट, दो 500–500 गज के प्लॉट, मालाखेडा में एक दूकान, दीपावास नीमकाथाना में भूमि वगैरा परिसम्पत्तियां मिली।**
- **गढीबसई थानागाजी में आलीशान फार्म हाउस जिसमें 01 थार, 01 बुलेट मोटर साईकिल, 2 सोलर टूयूब वैल, करीब 1500 विभिन्न प्रकार के महंगे फलों के पेड, एसी, महंगे सीसीटीवी कैमरे व अवैध अफीम मिले।**
- **जयपुर स्थित फ्लैट से एक टाटा हैरियर कार, करीब 2 लाख रूपये, करीब 1 किलो चांदी के आभुषण, करीब 150 ग्राम सोने के आभुषण वगैरह मिले।**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, 17 जुन मंगलवार/ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की विभिन्न टीमों द्वारा **जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपूतली एवं थानागाजी अलवर** में आज अल सुबह कार्यवाही करते हुये श्री फतेह सिंह मीणा अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका पावटा–प्रागपुरा के विरूद्ध दर्ज आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के प्रकरण में आरोपी के 12 विभिन्न ठिकानों पर छापा मारकर तलाशी व रिकॉर्ड प्राप्त करने का अभियान चलाया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ब्यूरो मुख्यालय को गोपनीय सूत्र–सूचना प्राप्त हुई थी कि श्री फतेह सिंह मीणा अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका पावटा–प्रागपुरा द्वारा भ्रष्टाचार से अपने एवं अपने परिजनों के नाम से अपनी वैध आय से आनुपातिक रूप से अधिक चल–अचल सम्पत्तियाँ अर्जित की गई है, जिनकी अनुमानित खरीद कीमत करोड़ों रुपयों से अधिक है।

उक्त सूत्र–सूचना का ए.सी.बी. की आसूचना शाखा द्वारा गोपनीय रूप से सत्यापन किया गया तो उक्त अधिकारी द्वारा कानून से बेखौफ होकर आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने की पुष्टि हुई, जिस पर **OPERATION MM (MONEY MINTING)** चलाया जाकर विस्तृत रूप से तथ्य संकलित किये गये एवं तथ्यों की पुष्टि होने पर करीब 273 प्रतिशत की परिसम्पतियां वैध आय से अधिक अर्जित का मामला बनना पाये जाने पर प्रकरण दर्ज किया गया। एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक श्री राजेश सिंह के सुपरवीजन में ए.सी.बी. सवाईमाधोपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ज्ञान सिंह चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अनुसंधान अधिकारी के नेतृत्व में सक्षम न्यायालय से तलाशी वारंट प्राप्त किया जाकर श्री भूपेन्द्र सिंह एएसपी एसीबी चौकी जयपुर नगर प्रथम जयपुर, श्री ज्ञान प्रकाश नवल एएसपी एसीबी चौकी जयपुर नगर तृतीय जयपुर, श्री महावीर प्रसाद एएसपी एसीबी चौकी एसयू–द्वितीय, जयपुर, श्री महेन्द्र मीणा एएसपी एसीबी चौकी अलवर, श्री नवल किशोर डीएसपी एसीबी चौकी दौसा, श्री सुरेन्द्र पंचौली डीएसपी एसीबी चौकी एसआईडब्लयू जयपुर, श्री रविन्द्र सिंह डीएसपी एसीबी चौकी भिवाडी, श्री सुभाष मील पुलिस निरीक्षक एसीबी चौकी सीकर, श्री गम्भीर सिंह पुलिस निरीक्षक एसीबी चौकी जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर, श्री सज्जन कुमार पुलिस निरीक्षक एसीबी चौकी एसआईयू जयपुर की विभिन्न टीमों के करीब 100 एसीबी के अधिकारी व कर्मचारियों ने एक साथ, आज अलसुबह आरोपी के जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपूतली, थानागाजी अलवर स्थित 12 विभिन्न ठिकानों पर तलाशी एवं दस्तावेज प्राप्त करने की कार्रवाई की गई ।

संदिग्ध अधिकारी का गढबसई थानागाजी में आलीशान फार्म हाउस जिसमें 01 थार, 01 बुलेट मोटर साईकिल, 2 सोलर टूयूब वैल, करीब 1500 विभिन्न प्रकार के महंगे फलों के पेड, एसी, महंगे सीसीटीवी कैमरे व अवैध अफीम वगैरह मिले। अवैध अफीम के संबंध में पृथक से कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है तथा फार्म हाउस पर मिले संदिग्ध वाहन थार व बूलेट मोटरसाईकिल को स्थानीय पुलिस द्वारा जब्त किया गया है।

संदिग्ध अधिकारी के सहायक श्री कैलाश गुर्जर के शाहपुरा स्थित घर पर सर्च में गढबसई थानागाजी स्थित फार्म हाउस से संबंधित मूल दस्तावेज, फार्म हाउस खरीदने व उस पर व्यय की गई राशि के संबंध में दस्तावेज व हिसाब किताब, आई–10 कार व अन्य संदिग्ध दस्तावेजात मिले। उक्त श्री कैलाश ने गढबसई स्थित फार्म हाउस को बेनामी होकर संदिग्ध अधिकारी द्वारा खरीदने की पुष्टि की है।

संदिग्ध अधिकारी के गढ बसई स्थित फार्म हाउस के संदिग्ध क्रेता श्री प्रमोद वर्मा एवं विक्रेतागणों से पूछताछ में संदिग्ध अधिकारी द्वारा उसके नाम पर खरीदने की पुष्टि हुई है। इस संबंध में संबंधित दस्तावेज व हिसाब किताब की डायरियां जब्त की गई हैं।

संदिग्ध अधिकारी के जयपुर स्थित त्रिमूर्ति एरिना में करीब दो लाख रूपये, दो आलीशान डूपलैक्स फ्लैट, महंगे इन्टीरियर एवं फर्निचर, तीन पार्किग स्पैस, हैरियर कार, मालाखेडा में एक दूकान, दो अन्य 500–500 गज आवासिय भूखण्डों के कागजात, करीब 150 ग्राम सोने के आभुषण, करीब 1 किलो चांदी के आभुषण मिले।

संदिग्ध अधिकारी के पावटा स्थित किराये के मकान में संदिग्ध अधिकारी स्वयं मौजूद मिला। उक्त मकान में संदिग्ध अधिकारी की कोटपुतली में पदस्थापन के दौरान संदिग्ध दस्तावेज मिले।

नगर पालिका कार्यालय पावटा व विराटनगर तथा उप पंजियक कार्यालय थानागाजी में संदिग्ध अधिकारी के सम्पत्तियों के संबंध में दस्तावेज व जानकारी प्राप्त की गई। संदिग्ध अधिकारी की पत्नी की गीता स्टार होटल प्रा0 लि0 से संदिग्ध आय के संबंध में दस्तावेज एवं जानकारी प्राप्त की गई।

ब्यूरो के प्राथमिक आकलन, प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अब तक तलाशी में मिले दस्तावेजों के अनुसार आरोपी फतेह सिंह मीणा द्वारा अपने सेवाकाल में भ्रष्टाचार के साधनों द्वारा करोड़ों रुपये की खरीद कीमत की अनेक चल–अचल परिसम्पत्तियां अर्जित करने का अनुमान है, जो उनकी वैध आय से आनुपातिक रूप से बहुत अधिक है इसके अतिरिक्त आरोपी एवं उसके परिजनों द्वारा कई बेनामी परिसम्पत्तियों में निवेश के साक्ष्य मिले हैं, जिनकी विस्तृत जाँच की जायेगी।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में ए.सी.बी. की विभिन्न टीमों द्वारा आरोपी के ठिकानों पर तलाशी अभियान जारी है। मामले में एसीबी द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।